भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4935

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान के तहत अयोग्य लाभार्थी

4935. डॉ. शशि थरूरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत अयोग्य लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत के संबंध में आंकड़ें हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में अयोग्य लाभार्थियों के प्रतिशत सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अयोग्य लाभार्थियों से वापस ली जाने वाली धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएम-किसान योजना के अंतर्गत अयोग्य लाभार्थियों की संख्या का केरल में कृषि परिवारों की संख्या से अनुपात कितना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था । इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 19 किस्तों में रुपये 3.68 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। पीएम-किसान की 19वीं किस्त 24 फरवरी, 2025 को रिलीज की गई और 9.8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रुपये 22,000 करोड़ से अधिक का लाभ मिला।

इस योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित विवरण के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में एक ट्रस्ट-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में, कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। बाद में, इसके निवारण के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अलावा, भूमि सीडिंग के साथ आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, उन्हें योजना का लाभ उनके देय किश्तों के साथ, यदि कोई हो, प्राप्त होता है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आयकर दाता, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक आदि जैसे उच्च आय समूहों के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को अंतरित किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से रुपये 416 करोड़ की राशि वसूल की गई है। जिसमें से, केरल में चिन्हित अपात्र लाभार्थियों से रुपये 2.43 करोड़ वसूल किये जा चुके हैं।

*****